न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/158 **दायरा दिनांक : 10.09.2024**

उनवान

नेमीचंद पुत्र परमानन्द, जाति गुसाई, निवासी दोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड, हाल मुकाम–सूमर, जिला झालावाड राज० .... अपीलांट

बनाम

1. लाड बाई उम्र 36 साल पत्नी परमानन्द, जाति गुसाई
2. बिट्टू उम्र 20 वर्ष पुत्री नेमीचन्द, जाति गुसाई
3. गोलू उम्र 22 वर्ष पुत्र नेमीचन्द, जाति गुसाई
4. कपिल उम्र 18 वर्ष, पुत्र नेमीचन्द जाति गुसाई
   अकवाम निवासीगण ग्राम डोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड, हाल निवासी मूंडली, तहसील बांरा, जिला बांरा
5. रमेश पुत्र परमानन्द, जाति गुसाई
6. मुरलीधर पुत्र परमानन्द, जाति गुसाई
7. कैलाश पुत्र श्री शंकर, जाति गुसाई
8. धनराज पुत्र श्री शंकर, जाति गुसाई
9. सूसर बाई पुत्री श्री शंकर, जाति गुसाई
   अकवाम निवासीगण ग्राम डोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज०
10. रतनबाई पुत्री दुर्गाशंकर, जाति गुसाई, निवासी चीकली, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज०
11. जतन बाई पत्नी रामावतार, जाति गुसाई, निवासी चौमहला, जिला झालावाड राज०
12. गिरजा बाई पत्नी देवकरण, जाति गुसाई, निवासी बाघेर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज०
13. सन्जू बाई पत्नी बल्लू, जाति गुसाई, निवासी खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज०
14. द्वारकालाल पुत्र शंकर लाल, जाति गुसाई, निवासी डोबडा (मृतक) कायम मुकामान–
    14/1 मुकेश पुत्र स्व० द्वारकालाल, जाति गुसाई
    14/2 सुरेश पुत्र स्व० द्वारकालाल जाति गुसाई
    14/3 हिम्मतराज पुत्र स्व० द्वारकालाल जाति गुसाई,
    14/4 राधेश्याम पुत्र स्व० द्वारकालाल जाति गुसाई
    14/5 नरेश पुत्र स्व० द्वारकालाल जाति गुसाई
    14/6 नीतू पुत्री स्व० द्वारकालाल, जाति गुसाई
    अकवाम निवासीगण ग्राम डोबडा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड, राज०
15. राजस्थान सरकार जारिये तहसीलदार तहसील खानुपर, जिला झालावाड .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री अशोक कुमार गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 4 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 25.02.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 878/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 4 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वाके ग्राम डोबड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राज० में खाता संख्या नया 96 व पुराना 90 की खसरा नं0 284 रकबा 1.08 बीघा, खसरा नं0 477 रकबा 33.03 बीघा कुल 2 किता 34.11 बीघा आराजी स्थित है, वाके ग्राम डोबड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राज० में खाता संख्या नया 75 व पुराना 68 की खसरा नं0 275 की रकबा 10.04 बीघा, खसरा नं0 276 रकबा 3.04 बीघा, खसरा नं0 283 रकबा 0.03 बीघा खसरा नं0 285 रकबा 1.01 बीघा, खसरा नं0 286 रकबा 3.06 बीघा, खसरा नं0 287 रकबा 0.06 बीघा, खसरा नं0 288 की रकबा 3.01 बीघा, खसरा नं0 289 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नं0 482 रकबा 8.08 बीघा, खसरा नं0 497 रकबा 10.03 बीघा कुल 10 किता 40.10 बीघा आराजी स्थित है एवं वाके ग्राम भोजुखेड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राज० में खाता संख्या नया 24 व पुराना 22 की खसरा नं0 88 रकबा 19.10 बीघा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2024 से वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत निर्णय एवं डिक्री जेर अपील पारित की है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं हुआ जिससे कि यह साबित हो सके कि विवादित आराजी पुश्तैनी साबित हो सके। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र चालू जमाबंदी प्रदर्श 1 लगायत 3 जो क्रमशः ग्राम डोबडा, भोजूखेडी, डोबडा की हैं जिसके आधार पर वाद डिक्री करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के विवादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी मान लिया जो अवैधानिक हैं। अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपनी पैरवी हेतु एडवोकेट नियुक्त कर रखा था परंतु उन्होंने अपीलान्ट की सहमति के बिना प्रकरण में नो–इन्स्ट्रेक्शन प्लीड कर दिया और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी और इस कारण अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में अपनी जवाबदेही साक्ष्य पेश करने से वंचित रह गया जबकि कानूनन नो–इन्स्ट्रेक्शन के आधार पर एक तरफा कार्यवाही करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई जो अवैधानिक है। अपीलान्ट क्रम–1 लाड बाई की पहली पत्नी है जो करीब 20 वर्षो से अधिक समय से अलग रह रही है और अपीलान्ट 2 लगायत 4 उसके साथ रहते हैं। रेस्पोडेंट क्रम–1 के द्वारा अपीलान्ट की दूसरी पत्नी के पुत्र सुशील कुमार व पुत्री प्रिया गोस्वामी को भी दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया एवं अपीलान्ट के अन्य भाई रेस्पोडेन्ट रमेश, मुरलीधर को एवं उनके पुत्रों को भी प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया उनके अभाव में ही अधीनस्थ न्यायालय ने बिना आधार के विवादग्रस्त आराजी को पुश्तेनी मानकर केवल रेस्पोडेंट न० 2 लगायत 4 के हक व अधिकारों की घोषणा कर दी जो अवैधानिक है इस कानूनी बिन्दु पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गोर नहीं फरमाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किन दस्तावेज के आधार पर विवादग्रस्त आराजी को पुश्तैनी माना है इस बाबत अपनी कोई फाईन्डिग नहीं है एवं चालू जमाबंदी के आधार पर विवादित आराजी को पुश्तैनी नहीं माना जा सकता। रेस्पोडेंट क्रम 1 के द्वारा अपीलान्ट नेमीचंद को मृतक बताकर एवं स्वयं को बेवा बताकर महिला एवं बाल विकास विभाग में नौकरी प्राप्त की है और प्रकरण में अपीलान्ट को जीवित बताकर अधीनस्थ न्यायालय

(दीप्ति प्रभुचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

में घोषणा एवं बंटवारे का वाद पेश किया है जो अवैधानिक है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.2024 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया जावे कि वो अपीलान्ट को जवाब व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण का पुनः विधि अनुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.2024 के विरूद्ध धारा–223 आर. टी. एक्ट के तहत पेश की गई है। विवादित आराजी वाके ग्राम डोबड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.) की कुल दो किता की 34 बीघा 11 बिरवा आराजी जो वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित है एवं खसरा नम्बर 275, 276, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 482, 492 कुल 10 किता की 10 बीघा 10 बिस्वा आराजी जो वाद पत्र की मद नं.–2 में अंकित है एवं ग्राम भोजूखेड़ी, तहसील खानपुर के खसरा नम्बर–88 की 19 बीघा 10 बिस्वा आराजी जो वाद पत्र की मद नं.–3 में अंकित है अर्थात् वाद पत्र की मद नं.–1, 2 व 3 में अंकित आराजी को पुश्तैनी बताते हुऐ उक्त आराजी के मामले में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 4/वादीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा व बंटवारे का वाद पेश किया। दौराने सुनवायी अपीलान्ट/प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट को सूचना दिए बिना ही वाद में नो–इंस्ट्रेक्शन प्लीड़ कर दिया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.2024 एक तरफा रूप से पारित कर दी गई। इसलिए अपीलान्ट के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

विवादित आराजी के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में जेरकार वाद में सुनवायी के दौरान अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा अपीलान्ट की सहमति के बिना एवं अपीलान्ट को सूचना दिए बिना प्रकरण में नो–इंस्ट्रक्शन प्लीड कर दिया और अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भी इस बाबत् अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी। इस कारण अपीलान्ट अपनी जवाबदेही, साक्ष्य पेश करने से वंचित रह गया। कानूनन नो इंस्ट्रक्शन के मामले में अपीलान्ट को सूचना दिया जाना आवश्यक था। इस कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर फरमाये बिना ही निर्णय एवं डिक्री जेर अपील पारित की है जो निरस्त होने योग्य है। इस सम्बंध में नजीर–2013(2) RRT पेज 1131 पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं हुआ जिससे कि विवादित आराजी पुश्तैनी साबित हो सके। केवल मात्र चालू सम्वत् की जमाबंदी पेश करने के आधार पर आराजी को पुश्तेनी आराजी नहीं माना जा सकता, मौखिक साक्ष्य के आधार पर भी आराजी को पुश्तेनी नहीं माना जा सकता। इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया।

(दीपि प्रमचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलान्ट की प्रथम पत्नी रेस्पोडेन्ट लाड़ बाई है जो करीब 20 वर्षों से अलग निवास कर रही है, रेस्पोडेन्ट क्रम–2 लगायत–4 उसके साथ रहते हैं। कानूनन घोषणात्मक वाद में अपीलान्ट की दूसरी पत्नी के पुत्र सुशील कुमार व पुत्री प्रिया गोस्वामी को भी दावे में पक्षकार नहीं बनाया। अपीलान्ट के अन्य भाई रेस्पोडेन्ट रमेश व मुरलीधर के पुत्रों को भी प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है, यदि किसी कारण से आराजी को पुश्तैनी माना भी जावे तो भी घोषणा के वाद में यह सभी आवश्यक पक्षकार थे।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं दी कि किस राजस्व अभिलेख के आधार पर विवादित आराजी को पुश्तैनी माना गया है। चालू जमाबंदी के आधार पर आराजी को पुश्तैनी नहीं माना जा सकता।

रेस्पोडेन्ट क्रम–1 के द्वारा अपीलान्ट नेमीचन्द को मृतक बता कर एवं स्वयं को बेवा बता कर महिला एवं बाल विकास में नौकरी प्राप्त की है और प्रकरण में अपीलान्ट को जीवित बता कर अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा एवं बंटवारे का वाद पेश किया है एवं न्यायालय पारिवारिक न्यायालय बारां में धारा–125 सी. आर. पी. सी. के तहत भरण–पोषण राशि की कार्यवाही में अपीलान्ट को जीवित बताया गया है और आदेश दिनांक 06.03.2014 के अनुसार दिनांक 18.01.2010 से भरण–पोषण राशि प्राप्त कर रही है, जो अवैधानिक है। असत्य कथनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वाद डिक्री करने में त्रुटि की है।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.07.2024 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह अपीलान्ट को जवाब व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए व अपीलान्ट के अन्य वारिसान पुत्र सुशील कुमार व प्रिया को भी पक्षकार बनाते हुऐ पुनः निर्णय पारित करें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि नेमीचन्द की पहली पत्नी है उसके 2 लगायत 4 नेमीचन्द के बच्चे हैं। हमने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 91, 53 में वाद प्रस्तुत किया है। हिन्दु विधि के आधार पर बच्चों को जन्म से ही अधिकार प्राप्त होते हैं। नकल जमाबंदी सम्वत 2068–2071 की पेश की है, उसके पहले की जमाबंदी पेश नहीं की है। वादग्रस्त सम्पत्ति पैतृक नहीं है इस सम्बन्ध में प्रतिवादी नं. 1 ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। ओरल साक्ष्य में पत्नी होना साबित है तथा अपील में भी पत्नी नहीं होना अंकित नहीं किया है। अपील का पैरा नं. 4 में पहली पत्नी होना अंकित किया है। अन्य पक्षकारान ने कोई विरोध नहीं किया है। अतः अपील खारिज की जाये।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया।

वादी रेस्पोडेंट कम 1 ता 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 91, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम डोबड़ा, तहसील खानपुर, की खाता संख्या नया 96 पुराना 90 की कुल 2 किता 34.11 बीघा, खाता संख्या नया 75 पुराना 68 की कुल 10 किता 40.10 बीघा एवं ग्राम भोजुखेड़ी, तहसील खानपुर, की खाता संख्या नया 24 पुराना 22

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

की खसरा नं0 88 रकबा 19.10 बीघा आराजी में निहित शेष अधिकारों की घोषणा एवं बंटवारे के लिए वाद प्रस्तुत कर कथन किया है कि वाद पत्र की मद नं. 1, 2, 3 में वर्णित आराजी पुश्तैनी सम्पत्ति है। प्रतिवादी कम 1 वादी कम 1 का पति एवं वादी कम 2 ता 4 का पिता है। प्रतिवादी कम 1 का वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में 1/7 हिस्सा, मद नं. 2 में वर्णित आराजी में 1/6 हिस्सा, मद नं. 3 में वर्णित आराजी में हिस्सा 1/6 दर्ज रेकार्ड है। प्रतिवादी कम 1 आदतन गलत शौक करता है। बुरी संगत में रहता है वादीगण का पालन पोषण नहीं करता है। दूसरी औरत रखकर वाद पत्र में वर्णित आराजी से होने वाली सम्पूर्ण आय उसी पर खर्च करता है। वादीगण प्रतिवादी कम 1 के वैध वारिस व उत्तराधिकारी होने के कारण वाद पत्र की मद नं. 1, 2, 3 में वर्णित आराजी पर खातेदारी की घोषणा करवाने व उसका विभाजन करवाकर अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट प्रतिवादी कम 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मुरलीमनोहर गुप्ता का वकालतनामा पेश हुआ। अन्य प्रतिवादीगण बाद सूचना के अनुपस्थित रहे, इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। दिनांक 03.03.2021 को अपीलांट के अभिभाषक श्री मुरली मनोहर गुप्ता द्वारा नो इंस्ट्रेक्शन प्लीड करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए, साक्ष्य वादी लेकर वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रदर्श अंकित किये गये। तत्पश्चात बहस वादी एक तरफा सुनकर वादीगण रेस्पोडेंट कम 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत वाद संक्षिप्त आदेश द्वारा गुणावगुण पर एकतरफा डिक्री किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट प्रतिवादी कम 1 जो विवादित आराजी का रिकॉर्डेड सहखातेदार है के हिस्से में से वादी 2 ता 4 को उनके हिस्से की आराजी का खातेदार घोषित कर बंटवारे हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने से पूर्व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मूल वाद का निस्तारण करना चाहिए था। संदर्भित प्रकरण में नो इंस्ट्रेक्शन प्लीड करने से पहले अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट को सूचित नहीं किया गया और ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस कम में अपीलांट को सूचना दी गई। इससे अपीलांट प्रतिवादी कम 1 वाद में अपना पक्ष रखने से वंचित रह गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार निर्णय पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार जो विवादित आराजी का रिकॉर्डेड सहखातेदार हैं, को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। वैधानिक रूप से अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा नो इंस्ट्रेक्शन प्लीड करने पर अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करने से पूर्व सुनवाई हेतु नोटिस जारी करते हुए अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करना चाहिए था। इस सन्दर्भ में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2014(1) पेज 673, आर.आर.टी. 2005(2) पेज 1102 के अध्ययन पश्चात यह न्यायिक दृष्टांत विचाराधीन अपील पर चस्पा होना पाया गया। उपरोक्त दोनों न्यायिक दृष्टांतों में अधिवक्ता द्वारा नो इंस्ट्रेक्शन प्लीड करने पर पक्षकार को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान करना न्यायालय का न्यायिक दायित्व माना गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दायित्व का निर्वहन भलीभांति नहीं करने एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना करने के कारण हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को खारिज करना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2024 खारिज किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से तनकीवार विश्लेषण पश्चात विधिवत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.04.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/02/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा